

3/10/23

प्रावली पेशा वकील / R.Q. साहब /
कार्य प्रमाणित
दिनांक 28/12/23 का पत्र था।

[Signature]

28/12/23

प्रावली पेशा वकील / R.Q. साहब /
कार्य प्रमाणित
दिनांक 29/2/24 का पत्र था।

[Signature]

22/1/24
प्रावली पेशा वकील / R.Q. साहब /
कार्य प्रमाणित
दिनांक 15/4/24 का पत्र था।

15/4/24 प्रावली पेशा वकील उर्फ अर्पिता अग्रणीगण को सम्मन जरिए डाक ले भेजे एक माह ले अधिक का समय हो चुका है। सम्मन अदम तामील होकर प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः तामील सम्मन भनी जाती है।

सम्बन्धित तामील के उपरान्त भी अग्रणीगण टापीर नहीं हुए हैं। अतः अग्रणीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

अग्रणीगण - पक्ष पर बहस सुनी गई। बहस सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवाहिक कानून के अन्तर्गत एवं अग्रणीगण लक्ष्मीदेव हैं।

अतः वाद की बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय - वस्तु को बनाए रखने हेतु अ. पक्ष के चरण स. 2 में उल्लेखित कानून के अन्तर्गत तामीलवाद भेजे की प्रचालिनी बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

प्रावली पेशा वकील श्रुमाय होकर दर्ज नम्बर ले कर है।

[Signature]
उपरोक्त अग्रणीगण
उपस्थित, पानचूर, (उर)